डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 80] रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 अप्रैल 2002—चैत्र 16, शक 1924

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 20 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2002

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ की विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहलाएगा. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.

   (2) यह अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2. छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा-5 की उप-धारा (1) में शब्द "एक सुसज्जित" के पश्चात् "कार्यालय सह" शब्द जोड़े जाएं. धारा 5 (1) का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा-4 को लोप किया जाए. धारा 5 (4) का लोप.

धारा 5 (5) का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (5) में शब्द "मरम्मतों तथा अनुरक्षण" के पश्चात् शब्द "और साज सज्जा" तथा शब्द "निवास" के पहले जहां कहीं भी आया हो, जिसमें इस धारा का स्पष्टीकरण भी सम्मिलित है, शब्द "कार्यालय-सह" जोड़े जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

चूंकि नेता प्रतिपक्ष को विधान सभा में तथा अपने निवास स्थान पर भी कार्य संपादित करना होता है. वर्तमान में निवास को कार्यालय के रूप में घोषित नहीं किया गया है. इसलिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. अत: विनिश्चय किया गया है कि छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 में संशोधन किया जाए. अत: संशोधन करना आवश्यक समझा गया.

अतएव यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक : 21 मार्च, 2002.

रविन्द्र चौबे
भारसाधक सदस्य.

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक में विधान मण्डल के नेता प्रतिपक्ष के निवास सह कार्यालय को आधुनिक साज-सामांनों से सुसज्जित करने का प्रावधान है. अत: राज्य शासन पर अनुमानत: एक लाख रुपये का अनावर्ती वित्तीय भार आवेगा.

(संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 की धारा 5 के सुसंगत उपबंध :—

धारा 5 (1)—

नेता प्रतिपक्ष, जब तक कि वह ऐसे नेता के रूप में बना रहता है और उसके अव्यवहित पश्चात् एक मास की कालावधि तक रायपुर में एक सुसज्जित निवास स्थान का उपयोग, किराये का भुगतान किये बिना, करने का हकदार होगा और ऐसे निवास स्थान के अनुरक्षण के बाबत उसके द्वारा वैयक्तिक रूप से कोई प्रभार देय नहीं होगा.

धारा 5 (4)—

उस निवास स्थान को, जिसकी व्यवस्था नेता प्रतिपक्ष के लिए उपधारा (1) के अधीन की गई सुसज्जित करने के बारे में किया जाने वाला व्यय पैंतीस हजार रुपये की आर्थिक सीमा के अध्यधीन हो.

धारा 5 (5)—

निवास स्थान एवं उद्यान जिनके लिये उप-धारा (1) के अधीन उपबंध किया गया है के समकक्ष उनकी वार्षिक मरम्मतों तथा उनके अनुरक्षण के बारे में किया जाने वाला वार्षिक व्यय ऐसी आर्थिक सीमाओं के अध्यधीन होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये नियमों में अधिकथित किये जायें.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.